

**राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म**

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण :-

- 1 क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना / स्कीम परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग के किमी0 8 से रा0इ0का0 पैतोली, राजकीय उद्यान विभाग पैतोली होते हुये स्थान पैतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।
का संक्षिप्त विवरण।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत। रू0 25.20 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
- ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) संलग्न है।
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :- कृषि, दुग्ध एवं बागवानी के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
- 2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :- 1.471 हे0, सिविल, कुल 1.471 हे0 वन भूमि
- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :-
क) परिवारों की संख्या :- शून्य
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या शून्य
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) शून्य
- 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)
- 5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड संलग्न है।
स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये)
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का अनसूची संलग्न है।
ब्यौरा।

तिथि

स्थान - थराली

खण्डीय अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

(इ0 विजय कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली, (चमोली)